



कायालय प्राचार्य शासकीय नवीन महाविद्यालय मंगचुवा जिला-बालोद छ.ग.

Email- govcollegemangchuwa@gmail.com

<http://govtcollegemangchuwa.in>

क्रमांक / / स्था. / 2022


दिनांक 11.11.2022

आदेश

महाविद्यालय में संचालित विविध कार्यों के सम्पादित कराने हेतु निम्न लिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने लिखे कार्य का प्रभार सौपे जाते हैं।

| क्र. | कार्य का नाम | प्रभारी अधिकारी का नाम | कर्मचारी का नाम |
|------|----------------|---|--|
| 1 | वनस्पतिशास्त्र | श्री एस. डी. मरावी प्राध्यापक वनस्पतिशास्त्र | सहायक श्री एस. डी. रवाई प्रयोगशाला तकनीशियन |
| 2 | प्राणीशास्त्र | श्रीमती तुलसी देवांगन प्राध्यापक प्राणीशास्त्र | सहायक श्री एस. डी. सवाई प्रयोगशाला तकनीशियन |
| 3 | रसायनशास्त्र | श्रीमती नमिता साहू प्राध्यापक रसायनशास्त्र | सहायक श्री एस. आर. ठाकुर प्रयोगशाला तकनीशियन |
| 4 | भूगोल | श्री पी. एस. चुरेन्द्र प्राध्यापक भूगोल | सहायक श्री एस. आर. ठाकुर प्रयोगशाला तकनीशियन |
| 5 | पुस्तकालय | श्री एस. पी. नायक सहायक प्राध्यापक वाणिज्य | श्रीमती याद कुमारी |
| 6 | शिक्षण कक्ष | श्री कमलेश सोनकर सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी | शिवम यादव एवं रोशन रावटे |
| 6 | खेलकूद विभाग | श्री एस. डी. मरावी प्राध्यापक वनस्पतिशास्त्र | श्री आर.के. ठाकुर सहायक प्राध्यापक वाणिज्य |
| 7 | कम्प्युटर कक्ष | श्री एस. पी. नायक सहायक प्राध्यापक वाणिज्य | रोशन रावटे एवं रमेश ठाकुर |




प्राचार्य

शासकीय नवीन महाविद्यालय-बालोद
मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)



**कायालिय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय मंगचुवा
जिला - बालोद (छ.ग.)**

Mo. 7772918725

website -<http://govtcollegemangchuwa.in>
E-mail :- govtcollegemangchuwa@gmail.com

क्र./६४/२०२२

मंगचुवा, दिनांक १३/१२/२०२२

//आदेश//

महाविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2022 – 23 से आगामी आदेश तक के लिए महाविद्यालय के आंतरिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों तथा प्रशासन को व्यवस्थित रूप से संचालन करने हेतु समितियों का गठन कर महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रभारी प्राध्यापक/संयोजक/प्रभारी नियुक्त किया जाता है। समस्त प्रभारी/संयोजक समय-समय पर प्राचार्य की अध्यक्षता में समितियों की बैठक आयोजित कर कार्य संपादित करे तथा समितियों के निर्णय के प्रतिलिपि प्राचार्य को सौप कर अवगत करावें।

| क्रं. | समिति का नाम | अधिकारी/कर्मचारी का नाम | पदनाम |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1. | स्टाफ कॉन्सिल | डॉ. यासर कुरैशी | अध्यक्ष |
| | | श्री पी.एस. चुरेन्द्र | संयोजक |
| | | समस्त स्टॉफ | सदस्य |
| 2. | प्रवेश/समय सारणी समिति | श्री पी.एस. चुरेन्द्र | संयोजक (कला संकाय) |
| | | श्री शेखर प्रसाद नायक | संयोजक (वाणिज्य संकाय) |
| | | श्री सूर्यदेव मरावी | संयोजक (विज्ञान संकाय) |
| 3. | सम्मिलित निधि/विकास निधि | डॉ. यासर कुरैशी | अध्यक्ष |
| | | श्री पी.एस. चुरेन्द्र | सदस्य |
| | | श्री सूर्यदेव मरावी | सदस्य |
| | | श्री शेखर प्रसाद नायक | सदस्य |
| | | श्री बी.आर. धार्मिक | सदस्य |
| 4. | विश्वविद्यालय संबद्धता | श्री पी.एस. चुरेन्द्र | संयोजक |
| | | श्री सूर्यदेव मरावी | सदस्य |
| | | श्री शेखर प्रसाद नायक | सदस्य |
| 5. | क्रीड़ा/खेलकूद आयोजन एवं संचालन समिति | श्री शेखर प्रसाद नायक | संयोजक |
| | | श्री सूर्यदेव मरावी | सदस्य |
| 6. | ग्रंथालय/वाचनालय समिति | श्री शेखर प्रसाद नायक | संयोजक |
| 7. | शिकायत निवारण समिति | श्री पी.एस. चुरेन्द्र | संयोजक |
| | | श्री शेखर प्रसाद नायक | सदस्य |
| | | श्री सूर्यदेव मरावी | सदस्य |



प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)

fr - Singh



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय मंगचुवा जिला - बालोद (छ.ग.)

Mo. 7772918725

website - <http://govtcollegemangchuwa.in>
E-mail : - govcollegemangchuwa@gmail.com

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 8. | सूचना का अधिकार | श्री पी.एस. चुरेन्द्र श्री सूर्यदेव मरावी | जनसूचना अधिकारी सहा. जनसूचना अधिकारी |
| 9. | भवन निर्माण / विस्तार / मरम्मत समिति | श्री पी.एस. चुरेन्द्र | संयोजक |
| 10. | रुसा | श्री शेखर प्रसाद नायक श्री सूर्यदेव मरावी | संयोजक सदस्य |
| 11. | अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ | श्री शेखर प्रसाद नायक | संयोजक |
| 12. | महिला आंतरिक शिकायत निवारण समिति | श्रीमती तुलसी देवांगन श्रीमती नमीता साहू श्रीमती याद कुमारी | संयोजक सदस्य सदस्य |
| 13. | वि.वि. वार्षिक / सेमेस्टर / पूरक परीक्षा समिति | श्री पी.एस. चुरेन्द्र श्री सूर्यदेव मरावी | संयोजक सदस्य |
| 14. | सायकल स्टैण्ड संचालन समिति | श्री शेखर प्रसाद नायक | संयोजक |
| 15. | बॉटनिकल गार्डन | श्री सूर्यदेव मरावी | संयोजक |
| 16. | कैरियर कौन्सिलिंग समिति इंटर्नशिप, ग्रीन कैपस, स्वच्छता सस्टेनेबिलिटी कार्य | श्री सूर्यदेव मरावी श्री शेखर प्रसाद नायक श्री पी.एस. चुरेन्द्र | संयोजक सदस्य सदस्य |
| 17. | प्लेसमेंट समिति | श्री शेखर प्रसाद नायक श्री सूर्यदेव मरावी | संयोजक सदस्य |
| 18. | वेबसाइट संचालन | श्री सूर्यदेव मरावी | संयोजक |
| 19. | ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन | श्री पी.एस. चुरेन्द्र | संयोजक |
| 20. | परीक्षा परिणाम मूल्यांकन विश्लेषण | श्री पी.एस. चुरेन्द्र श्री सूर्यदेव मरावी श्री शेखर प्रसाद नायक | संयोजक सदस्य सदस्य |
| 21. | योजना एवं क्रियान्वयन | श्री पी.एस. चुरेन्द्र श्री सूर्यदेव मरावी | अध्यक्ष सदस्य |



प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)



**कायालिय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय मंगचुवा
जिला - बालोद (छ.ग.)**

Mo. 7772918725

website -<http://govtcollegemangchuwa.in>
E-mail :- govtcollegemangchuwa@gmail.com

| | | | |
|-----|--|---|-----------------------------------|
| 22. | निःशक्तजन व्यवस्थापन / इक्षल आँपांचुनिटी सेल | श्री शेखर प्रसाद नायक श्री सूर्यदेव मरावी | संयोजक सदस्य |
| 23. | अतिथि व्याख्याता नियुक्ति छानबीन समिति | ✓ डॉ. बी.एल. मण्डलोई श्री पी.एस. चुरेन्द्र श्री शेखर प्रसाद नायक | संयोजक सदस्य सदस्य |
| 24. | हेल्प डेस्क | ✓ डॉ. बी.एल. मण्डलोई श्री शेखर प्रसाद नायक | संयोजक सदस्य |
| 25. | NIRF | श्री सूर्यदेव मरावी श्री पी.एस. चुरेन्द्र | संयोजक सदस्य |
| 26. | Prevention of caste based discrimination | श्री शेखर प्रसाद नायक | संयोजक |
| 27. | SVEEP | श्री शेखर प्रसाद नायक | संयोजक |
| 28. | ईकोकल्ब / ग्रीनआर्मी / एक्वा क्लब | श्री शेखर प्रसाद नायक | संयोजक |
| 29. | एण्टी रैगिंग समिति | ✓ डॉ. बी.एल. मण्डलोई श्री पी.एस. चुरेन्द्र श्री शेखर प्रसाद नायक श्री सूर्यदेव मरावी | संयोजक सदस्य सदस्य सदस्य |
| 30. | अनुशासन समिति | ✓ डॉ. बी.एल. मण्डलोई श्री पी.एस. चुरेन्द्र श्री शेखर प्रसाद नायक श्री सूर्यदेव मरावी | संयोजक सदस्य सदस्य सदस्य |
| 31. | IQAC/UGC/ नैक | श्री सूर्यदेव मरावी | प्रभारी |
| 32. | सांस्कृतिक | श्री पी.एस. चुरेन्द्र श्री शेखर प्रसाद नायक | संयोजक सदस्य |
| 34. | छात्रसंघ | ✓ डॉ. बी.एल. मण्डलोई | प्रभारी |
| 35. | खेलकूद | श्री शेखर प्रसाद नायक | प्रभारी |
| 36. | ग्रंथालय | श्री शेखर प्रसाद नायक | प्रभारी |
| 37. | भौतिक सत्यापन / अपलेखन | श्री पी.एस. चुरेन्द्र श्री सूर्यदेव मरावी श्री शेखर प्रसाद नायक | संयोजक सदस्य सदस्य |



for - प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)



**कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय मंगचुवा
जिला - बालोद (छ.ग.)**

Mo. 7772918725

website - <http://govtcollegemangchuwa.in>
E-mail :- govcollegemangchuwa@gmail.com

| | | | |
|-----|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| 38. | क्रय समिति | श्री शेखर प्रसाद नायक | संयोजक |
| | | श्री पी.एस. चुरेन्द्र | सदस्य |
| | | श्री सूर्यदेव मरावी | सदस्य |
| | | श्री बी.आर. धार्मिक | सदस्य |
| 39. | N.S.S. | श्री शेखर प्रसाद नायक | कार्यक्रम अधिकारी |
| 40. | निर्धन सहायता समिति | ✓ डॉ. बी.एल. मण्डलोई | संयोजक |
| | | श्री पी.एस. चुरेन्द्र | सदस्य |
| 41. | युवा उत्सव | श्री शेखर प्रसाद नायक | संयोजक |
| 42. | अध्यापन प्रभारी | श्री पी.एस. चुरेन्द्र | कला संकाय |
| | | श्री शेखर प्रसाद नायक | वाणिज्य संकाय |
| | | श्री सूर्यदेव मरावी | विज्ञान संकाय |
| 43. | पर्यावरण समिति | श्री सूर्यदेव मरावी | संयोजक |
| | | श्री शेखर प्रसाद नायक | सदस्य |
| 44. | समाजिक गतिविधि | श्री शेखर प्रसाद नायक | संयोजक |
| | | श्री सूर्यदेव मरावी | सदस्य |
| 45. | रेडक्रॉस / रेडरिबन | श्री सूर्यदेव मरावी | प्रभारी |
| 46. | विज्ञान समिति | श्री सूर्यदेव मरावी | संयोजक |
| 47. | छात्रवृत्ति समिति | श्री पी.एस. चुरेन्द्र | संयोजक |
| | | ✓ डॉ. बी.एल. मण्डलोई | सदस्य |
| 48. | शिक्षक अभिमावक समिति | ✓ डॉ. बी.एल. मण्डलोई | संयोजक |
| | | श्री पी.एस. चुरेन्द्र | सदस्य |
| | | श्री शेखर प्रसाद नायक | सदस्य |
| 49. | आंतरिक मूल्यांकन प्रकोष्ठ | श्री पी.एस. चुरेन्द्र | कला संकाय |
| | | श्री शेखर प्रसाद नायक | वाणिज्य संकाय |
| | | श्री सूर्यदेव मरावी | विज्ञान संकाय |



for - *[Signature]*
प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)



**कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय मंगचुवा
जिला - बालोद (छ.ग)**

Mo. 7772918725

website - <http://govtcollegemangchuwa.in>
E-mail :- govcollegemangchuwa@gmail.com

| | | | |
|-----|--|-----------------------|---------|
| 50. | महाविद्यालय स्वच्छता समिति | श्री पी.एस. चुरेन्द्र | संयोजक |
| | | ✓ डॉ. बी.एल. मण्डलोई | सदस्य |
| | | श्री सूर्यदेव मरावी | सदस्य |
| 51. | पूर्व विद्यार्थी समिति | श्री शेखर प्रसाद नायक | सदस्य |
| | | श्री पी.एस. चुरेन्द्र | संयोजक |
| 52. | लेखा निरीक्षण समिति | श्री शेखर प्रसाद नायक | सदस्य |
| | | श्री पी.एस. चुरेन्द्र | संयोजक |
| | | श्री सूर्यदेव मरावी | सदस्य |
| 53. | स्थापना शाखा निरीक्षण वेतन निर्धारण / क्रमोन्नत | श्री शेखर प्रसाद नायक | संयोजक |
| | | श्री सूर्यदेव मरावी | सदस्य |
| 54. | लोक सेवा गारंटी | श्री पी.एस. चुरेन्द्र | संयोजक |
| | | श्री शेखर प्रसाद नायक | सदस्य |
| | | श्री बी.आर. धार्मिक | सदस्य |
| 55. | रिसर्च सेल | डॉ. यासर कुरैशी | अध्यक्ष |
| | | श्री सूर्यदेव मरावी | संयोजक |
| 56. | ई - क्लास | श्री सूर्यदेव मरावी | संयोजक |
| 57. | वेल्यू एडेड कोर्स | श्री सूर्यदेव मरावी | संयोजक |
| 58. | क्वालिटी सर्टिफिकेशन समिति / क्वालिटि ऑडिट समिति | श्री सूर्यदेव मरावी | संयोजक |
| | | ✓ डॉ. बी.एल. मण्डलोई | सदस्य |
| 59. | जनसंपर्क/प्रकाशन समिति | श्री पी.एस. चुरेन्द्र | सदस्य |
| | | श्री शेखर प्रसाद नायक | सदस्य |
| | | ✓ डॉ. बी.एल. मण्डलोई | सदस्य |

- नोट :-**
1. सदस्य समितियों के संयोजक/प्रभारी समिति पंजी का संधारण करेंगे।
 2. सभी समितिया वर्ष में न्यूनतम चार बैठक आयोजित करें, बैठक (एजेन्डा, कार्यवाही विवरण व ए.टी.आर.) रिकार्ड का अवश्य संधारण करें।



प्र.प्राचार्य *[Signature]*
शासकीय नवीन महाविद्यालय प्राचार्य
मंगचुवा, जिला - बालोद, छ.ग. *[Signature]*
आप्सकार्य नवीन महाविद्यालय (छ.ग.)

5.3.2

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय मंगचुवा जिला-बालोद छ.ग.



Email- govcollegemangchuwa@gmail.com

<http://govtcollegemangchuwa.in>

दूरभाष नं. :— 7747299732

क्रमांक /

/ रथा. / 2022

मंगचुवा, दिनांक — 04/07/22

महाविद्यालय संचालित कार्य दैनिक समयसारणी के अनुसार विविध कार्य सम्पादित कराने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समाने कार्य प्रभार दिये जाते हैं।

| क्रमांक | समितियों के नाम | अधिकारी / कर्मचारी का नाम | छात्र / छात्राओं का नाम |
|---------|---------------------|---------------------------|--|
| 01 | खेल कूद | श्री एस.डी.मरावी | करण कुमार, कु. यशोदा |
| 02 | छात्र कल्याण विभाग | श्री शेखर प्रसाद नायक | कु. मनीषा देशमुख |
| 03 | महिला संरक्षण समिति | श्रीमती नमिता साहू | कु. गायत्री, नीशा, |
| | | श्रीमती तुलसी देवागंन | डोमेश्वरी, कीर्ति |
| 04 | ग्रंथालय समिति | श्री शेखर प्रसाद नायक | कु. चंदा, संजय कुमार |
| 05 | सास्कृतिक समिति | श्रीमती नमिता साहू | कु. नीशा, अन्जेश, लीना, |
| | | श्री कमलेश सोनकर | वंदना, अजय कुमार |
| 06 | अनुशासन समिति | श्रीमती तुलसी देवागंन | कु. दानेश्वरी रोहण |
| 07 | एप्टी रैकिंग समिति | श्रीमती नमिता साहू | कु. रीना, मोनिका, राधा |
| | | श्रीमती तुलसी देवागंन | |
| 08 | समस्या निवारण समिति | श्री रमेश कुमार ठाकुर | कु. कामिनी, दामिनी कोमिन, मोती लाल, पवन |
| | | | |



प्रभारी प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय मंगचुवा
जिला-बालोद (छ0ग0) शासकीय नवीन महाविद्यालय
मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए^१
सत्र 2022-23

हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत



प्राप्ति
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शारण

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर

कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2022-23

1. प्रयुक्ति :-

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के रामी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के नाथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कडाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु "ऑनलाईन" फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाईन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

1. स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 16 जून से 16 अगरत तक प्राचार्य ख्यय तथा 26 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 16 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से 15 जुलाई तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जावेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिवस के भीतर प्रवेश कार्य पूर्ण किये जायेंगे। कलिका 51 (ब) में उल्लिखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रगाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का

नुस्खा अधिकारी

शिक्षा विभाग, मंत्रालय

गर, नथा, रायपुर, छत्तीसगढ़ MARGDARSHIKA 2022-23



प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)

प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश जाने की विधि एवं
प्रवेश दिया जायेगा।

विशेष टीप :-
 सन् 2022-23 की प्रवेश प्रक्रिया में सी.वी.एस.सी./आई.री.एस.सी. वोर्ड एवं अन्य वोर्ड निक
 परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुये हैं ऐसे आवेदक संवंधित वोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के
 अंतर्गत प्रथम टर्म में प्राप्त अंक पत्रक की छायाप्रति संवंधित विद्यालय के प्राचार्य से हरताक्षर
 करवाकर अपलोड करेंगे। सी.वी.एस.सी. आई.री.एस.सी. के ऐसे आवेदक जिनकों संवंधित
 विद्यालय द्वारा प्रतिहरताक्षरित पत्रक उपलब्ध नहीं करा रहे हैं ऐसे आवेदक प्रथम टर्म के अंकों
 के लिए वचन पत्र रखयं/अभिभावक के हरताक्षर से अपलोड करेंगे। वचन पत्र असत्य पाये
 जाने पर प्रवेशित विद्यार्थी का प्रवेश रखमेव निररत माना जायेगा पढ़ा जायें।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक 'क' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश
 लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण रथान "घ" में हो गया, इस स्थान (घ) के
 किसी महाविद्यालय ने अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया
 किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (घ) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान
 (घ) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम
 तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (घ) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.2 पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-
 विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को
 पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संवंधित विश्वविद्यालय के
 कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि
 संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में
 स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में
 उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रियत होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध
 उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्थीकृत छात्र
 संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य
 महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो ते 30 अप्रैल तक अपना
 प्ररताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेपित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा
 विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही वहे हुए रथान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बी.ए.एल.एल.जी. की कक्षाओं में
 वार कौसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेवशन
 (न्यूनतम् 2 सेवशन एवं अधिकतम् 5 सेवशन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जाये।

अनुधारा अधिकारी

विश्वविद्यालय, मंगचुवा

नवीन मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.) 2022-23



प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)

सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :-

- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अहकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक राहित, सूचना पटल पर लगाइ जायेगी।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निररत की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद रथान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 26 अगस्त के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाने की रिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटरथ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- 4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में सलिल है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- 4.7 "राज्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत रनातक, स्नातकोत्तर रस्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।"

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंगचुवा
भट्टल नगर, नवा गढ़पुर (छ.ग.)

FINAL PRAVESH MANDAL KOSHNIKA 2022-23



प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)

प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवारी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक रांगड़नों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुनियों एवं जमू काश्मीर के विश्वापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं होगी। वी.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा दिया जायेगा। वी.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम रो 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा वी.एस.सी. (वायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

(क) वी.कॉम./वी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/वी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.-प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर, वी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी/एम.ए.-प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व-भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही वंधनकारी होंगे।

अनुमति
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा यशपुर (छ.ग.)
FINAL PRAVESH MARGDARSHNIKA 2022-23



प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय ता में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। रोगेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को आगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

- (ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-
1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
 2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को आगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

- (क) "विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग 42% होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाद्व में 55% अंक (अनसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।"

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संरथा के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. समकक्ष परीक्षा :-

- 6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कॉसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

- 6.2 समान्यतः भारत में रिथित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुगति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निदेशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संरथा को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्यापन केन्द्र/ऑफ कैम्पस

नन्दगांग अधिकारी

प्रिया विभाग, मंगलालय
नाम: अमृता शर्मा (छ.ग.)
प्रिया विभाग, मंगलालय
नाम: अमृता शर्मा (छ.ग.)
वर्ष: 2022-23



- आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।
- 6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण रारथाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य साम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
- 6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक रत्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013 (सीरी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार –

“जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अहंता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अहंता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समर्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्गमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित रत्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को कैरियर गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।”

बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

- 1 स्नातक रत्तर तक वी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में

अधिकारी
दला, मंत्रालय
सम्बद्ध (छ.ग.)
MARGDARSHIKA 2022-23

- 6 -



प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मंगचुनिया, जिला-बालोद (छ.ग.)

आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् भी नियमित प्रवेश । या जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये। छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक रत्नर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्ण की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक रत्नर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश किया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यार्थी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।
8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :—

 - 8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
 - 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
 - 8.3 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
 - 8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
 - 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जायेगा।


9 प्रवेश हेतु अर्हताएँ :—

- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी वर्ष/वर्षों में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं किया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जायेगा, उसे मात्र मूल

प्राचार्य

महाविद्यालय

MANGCHUWA GOVT. COLLEGE MANGCHUWA 2022-23



Z. S. Naveen
प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)

स्थानांतरण प्रमाण—पत्र तथा शपथ—पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उरने प्रवेश नहीं नियमित है, के आधार पर ही निम्नानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

- 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्घटवाहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हों/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं।
- 9.3 महाविद्यालय में तोडफोड करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जॉच करवायें एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र—छात्राओं को छत्तीरागढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।
- 9.4 प्रवेश हेतु आयु—सीमा :—
- (क) छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 दिनांक 15.08.2021 द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में आयु सीमा के वंधन को समाप्त किया गया है।
- 9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :—
- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।
- (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अहंकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय हैं, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा
- (ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भापदण्डों के अनुसार होगी।
- 10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग—अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :—

- 11.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अहंकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।
- 11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अहंकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
दिन नं. ३५, तिथा १८ अक्टूबर २०२२-२३



विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 वर्षावान प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथगिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाए, अन्य कम गतिविहीन होंगे।

11.4 स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रतिशत के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवारात् अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण-छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुरार होगा:-

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :-

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से वर्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से वारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत कर में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे विपरीत कर में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क),

(ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उद्धार (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों/भूतपूर्व ऐनिक, स्वतंत्रता स्थान सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षेत्रिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथारिथमि, उद्धारात् आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और जाती/नातीन के लिये 3 प्रतिशत रथान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों में जिए 5 परिशत रथान आरक्षित रहेंगे।

सभी वर्गों में उपलब्ध रथानों में से 30 प्रतिशत रथान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

अनुसारा आवेदन
नियम विभाग, मंगचुवा
नार, नवीन महाविद्यालय

FINAL EXAMINATION MARODARSHIKA 2023-24



प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
गंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)

- 2.5 आरक्षित श्रेणी का कोई समीदावार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी आपने काम्पीटीशन में नियमानुसार भेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की रीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे— स्वतंत्रता संग्राम रेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह रीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।
- 12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत $1/2$ से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, $1/2$ प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- 12.7 जम्मू—कश्मीर विरक्षापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक रीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
- 12.8 समय—समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
- 12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय विलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
- 12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अर्थोरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि— "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13. अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुकम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अहंकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समर्त प्रमाण—पत्र प्रवेश आवेदन—पत्र के राथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन—पत्र जमा करने के पश्चात् वाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण—पत्रों हैं। आवेदन—पत्र जमा करने के पश्चात् वाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण—पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेञ्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

(क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट

02 प्रतिशत

(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "वी" सर्टिफिकेट

03 प्रतिशत

या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स

04 प्रतिशत

(ग) "सी" सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स

04 प्रतिशत

(घ) राज्य रत्तीर्ण रांचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में गुप्त का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को

05 प्रतिशत

(घ) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़

05 प्रतिशत

उच्च अधिकारी

स्व. शिक्षा विभाग, संचालक
पाल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)
FINAL PRAVEESH MANGCHUWA 2022-23

10/2022-23
[Signature]

ग्रामावास
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मांगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)



| | | |
|--|------------|----|
| वाले विद्यार्थी को | | 25 |
| (४) राज्यपाल स्काउटर्स | 05 प्रतिशत | |
| (ज) रोड़पति स्काउटर्स | 10 प्रतिशत | |
| (झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट | 10 प्रतिशत | |
| (य) ड्यूक ऑफ ऐडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट | 10 प्रतिशत | |
| (२) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य सूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थीयों को | 10 प्रतिशत | |
| 13.2 आनंद विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर | 15 प्रतिशत | |
| 13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/विवर/रूपांकन प्रतियोगिताएँ :- | 10 प्रतिशत | |
| (१) शौक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :- | | |
| (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को | 02 प्रतिशत | |
| (ख) व्यवितरण प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को | 04 प्रतिशत | |
| (२) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (१) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ एआई.स्यू द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :- | | |
| (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को | 06 प्रतिशत | |
| (ख) व्यूक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को | 07 प्रतिशत | |
| (ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को | 05 प्रतिशत | |
| (३) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :- | | |
| (क) व्यवितरण प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को | 15 प्रतिशत | |
| (ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को | 12 प्रतिशत | |
| भाग अधिकारी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को | 10 प्रतिशत | |
| 13.4 अन्य अन्य राष्ट्रों के मध्य सूथ अथवा साईन्स एवं कल्पनालय प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/ | 10 प्रतिशत | |



26/11/2023

प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मंगचुवा, जिला-बालोद (R.D.)

- कला क्षेत्र में ज्ञानित एवं प्रतारा करने वाले दल के सदस्यों को
१३५ छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल रांपो द्वारा आयोजित गुणानुक्रमिता ८
(क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के १० प्रतिशत
सदस्य को
(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय रैंक प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की १२ प्रतिशत
टीम के सदस्यों को
१३६ जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ०१ प्रतिशत
१३.७ विशेष प्रोत्साहन :-
छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पॉर्ट्स अथरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :-
(१) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्राप्ति किया गया हो, एवं
(२) यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित सम्यावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।
१३.८ प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु नान्य कियं जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु नान्य होंगे।
१४ संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :-
स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश याहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से ५ प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटने हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा ३० रितांयर तक या विलाप से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कलिका २.२ में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से १५ दिनों तक ही दी जायेगी। आने पर कलिका २.२ में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से १५ दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के संग्रहालय द्वारा जापिक हो।

अमृतांग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, पंजाब
काटल नगर, जम्मू राज्यपुर (ज.ग.)




शोध छात्र :—

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकगालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस रामायावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जायेगा। शोध छात्र के लिये संवंधित विश्वविद्यालय द्वास पी.एच.-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदरथ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो राक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपरिथित प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही येतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का यंतन आहरित किया जायेगा।

महाविद्यालय में पदरथ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र रथानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संरक्षा में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अप्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अप्रेषित करेंगे। संवंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।

16 विशेष :—

- 16.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानवृज्ञकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपरिथित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में 'वर्णित अनुशासनानीनता' के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के रपटीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में 'मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से रपट टीप व अभिमत देते हुए रपटीकरण/मार्गदर्शन आयुवत, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अप्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों तीव्र व्याख्या करने का अधिकार आयुवत, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में रामय-रामय पर परिवर्तन/रांशोधन/निररान/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शारान, उच्च शिक्षा विभाग, भंत्रालय को होगा।



- 13 -

Jainy.
प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
गंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)



मार्गदर्शक अधिकारी
महाविद्यालय, राजस्थान
गंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)
FINAL PRAKASH MARODARSHIKA 2022-23

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
लॉक सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक २०३८/७६१/आउशि/सम./२०२२

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक ०६/०६/२०२२

प्रति,

1. कुलसचिव,
समरत विश्वविद्यालय छ.ग।
2. प्राचार्य,
समरत शासकीय महाविद्यालय छ.ग।

विषय :- शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु अकादमिक कैलेण्डर विषयक।

संदर्भ :- अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17-83/2018/38-2
दिनांक 06.06.2022

—00—

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग.उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक रात्र 2022-23
का अकादमिक कैलेण्डर जारी किया गया है, जो मूलतः संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया उक्त अकादमिक कैलेण्डर का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

०६/०६/२०२२

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर अटल नगर(छ.ग.)

पृ.क्रमांक/२०३८/३६१/आउशि/सम/2021 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक ०७/०६/२०२२

प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानगदी भवन नवा रायपुर अटल नगर छ.ग.
को सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/
अंविकापुर/दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

०६/०६/२०२२

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर अटल नगर(छ.ग.)

c:\users\acer\desktop\desktop\desktop\27-10-2017\letter note sheet 2020 (26-03-2)\letter 05-12-2020.docx1130

१०८/३५०३
०६/०६/२२

प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मांगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)

०६/०६/२२



छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालयः
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर
Email-higher-education@cg.gov.in

क्रमांक एफ 17-83 / 2018 / 38-2
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, 06/6/2022

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।

विषयः— शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु अकादमिक कैलेण्डर विषयक।

संदर्भः— आपका प्रस्ताव क्रमांक 2917 / 760 / 761 / आउशि / सम. / 2022 दिनांक 31.05.
2022

.....00.....

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव के संबंध में छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग, के
अंतर्गत संचालित छ.ग. के शैक्षणिक संरथानों के लिए शैक्षणिक सत्र 2022-23 का अकादमिक
कैलेण्डर आवृश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः— यथोपरि।

Apurba
(ए.आरुखान)
अवर सचिव

क्रमांक एफ 17-83 / 2018 / 38-2
प्रति,

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर.

- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर
अटल नगर, रायपुर।
- निज सचिव, सचिव छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल
नगर, रायपुर।
- विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर।
- गार्ड फाइल।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग



Pracharya
प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)

१७६

उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

शैक्षणिक सत्र 2022-23 का अकादमिक केलेण्टुर

| क्र. | विवरण | तिथि |
|------|---|---|
| 1 | प्रवेश प्रक्रिया (महाविद्यालय स्तर पर) | |
| (क) | स्नातक प्रथम र्हष्ट हेतु | 16.06.2022 से 16.08.2022 तक |
| (ख) | अन्य कक्षाओं हेतु | 16.06.2022 से 15.07.2022 ता। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त 10 दिन तक |
| (ग) | प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति से | |
| 2 | कुलपति की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि | 26 अगस्त, 2022 तक |
| 3 | नियमित कक्षाएं प्रारंभ | 01.07.2022 से |
| 4 | वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन | 11 गांव, 2023 से 01 मई, 2023 |
| 5 | सभी वार्षिक परीक्षा परिणामों की घोषणा | 16.06.2023 तक |
| 6 | पुनर्मूल्यांकन के सभी परिणामों की घोषणा | 31.08.2023 तक |
| 7 | पूरक परीक्षा का आयोजन | न्यूनतम समय में |
| 8 | पूरक परीक्षा के परिणामों की घोषणा | 31.10.2023 तक |
| 9 | छात्रसंघ गतिविधियाँ | |
| (क) | छात्रसंघ गठन प्रक्रिया एवं शपथ ग्रहण | 03.09.2022 से 09.09.2022 छात्रसंघ गठन हेतु चुनाव/मनोनयन, शासन के निर्देशानुसार |
| 10 | खेलकूद एवं सांस्कृतिक, गतिविधियाँ :- | |
| (क) | खेलकूद प्रतिस्पर्धा प्रारंभ (इंडोर आउटडोर) | 18.07.2022 से |
| (ख) | खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं का समाप्ति (इंडोर आउटडोर) | 20.12.2022 तक |
| (ग) | महाविद्यालय स्तर पर खेलकूद (इंडोर आउटडोर) का वार्षिक आयोजन एवं पुरस्कार वितरण | 21, 22 एवं 23 दिसम्बर, 2022 में से कोई दो दिन |
| 11 | एन.सी.सी. / एन.एस.एस. एवं अन्य गतिविधियाँ :- | |
| (क) | वृक्षारोपण कार्यक्रम | जुलाई, 2022 के हितीय सप्ताह |
| (ख) | महाविद्यालय स्तर पर वार्षिकोत्सव का आयोजन | 21, 22 एवं 23 दिसम्बर, 2022 में से कोई एक दिन |
| (ग) | एनरीसी/एनएसएस कैम्प का आयोजन | 24.12.2022 से 31.12.2022 तक |
| (घ) | दीक्षान्त समारोह | जनवरी-फरवरी, 2023 |

09

[Signature]

Q.P.A.I.

S.2.

[Signature]

अनुष्ठान अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, पंजालय
आलत नगर, नवा राष्ट्रपुर (छ.ग.)

[Signature]
प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)



| विवरण | तिथिगाँ |
|--|-----------------------------|
| (१) दशहरा अवकाश (३ दिन) | 03.10.2022 से 05.10.2022 तक |
| (२) दीपावली अवकाश (३ दिन) | 24.10.2022 से 26.10.2022 तक |
| (३) श्रीतकालीन अवकाश (३ दिन) | 24.12.2022 से 26.12.2022 तक |
| (४) श्रीष्टवकलीन अवकाश (१ माह) | 16.05.2023 से 15.06.2023 तक |
| आंतरिक परीक्षाओं का कार्यक्रम | |
| 1 प्रथम यूनिट परीक्षा | 01.09.2022 |
| 2 द्वितीय यूनिट परीक्षा | 30.09.2022 |
| 3 तृतीय यूनिट परीक्षा | 05.11.2022 |
| 4 प्रथम सत्र/रोमेस्टर परीक्षा | 24, 25, 26 नवम्बर, 2022 |
| 5 चतुर्थ यूनिट परीक्षा | 19.12.2022 |
| 6 द्वितीय सत्र/रोमेस्टर परीक्षा | 28, 29, 30 दिसम्बर, 2022 |
| 7 प्री-फाइनल परीक्षा | 27, 28, 30 जानवरी, 2023 |
| वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम | |
| 1 वार्षिक प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन | गाढ़ फरवरी, 2023 |
| 2 वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन | गार्व, 2023 प्रथम सप्ताह से |

नोट:- अपरिहार्य कारणावश शैक्षणिक कार्य दिवस निर्धारित मानक 180 दिवसों से कम होने की स्थिति में रामरत गठाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अपने रत्न पर शैक्षणिक कालखण्डों की अवधि में यूडिं कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाए ताकि अकादमिक केलेण्डर का पालन सुनिश्चित हो।

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता :-

- प्रत्येक विषय में ऑफलाइन कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपरिख्यति अनिवार्य है।
- कुल 7 आंतरिक परीक्षाओं कक्षाओं में से कम से कम 5 में समिलित होना अनिवार्य है यिन्हें इसके वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाये।
- एन.सी.सी./एन.एस.एस. गैम्प/खेलकूद/राज्य रत्नीय प्रतिरप्तियों में समिलित हुए छात्रों को उपरिख्यत माना जाये।
- कक्षाओं में उपरिख्यति की प्रथम गणना 30 नवम्बर तक की जाये।
- कम उपरिख्यति वाले छात्रों को तथा उनके पालकों को सूचना दी जाये।
- कक्षाओं में उपरिख्यति की द्वितीय गणना 28 फरवरी तक की जाये।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
बड़ल नगर, नवा सम्पुर (छ.ग.)

प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
गांगचुरा, जिला-बालोद (छ.ग.)



(सेमेस्टर कक्षाओं के लिए)

| अकादमिक कार्य | स्नातक / स्नातकोत्तर (I/II/V/VII/X रोमेस्टर) | स्नातक / स्नातकोत्तर (III/IV/VI/VIII/X रोमेस्टर) |
|----------------------|---|---|
| प्रवेश प्रक्रिया | 16 जून से 30 जून, 2022 | 16 जनवरी, 2023 |
| कक्षाओं का आरम्भ | 1 जुलाई, 2022 | 24 अप्रैल, 2023 रो |
| प्रायोगिक परीक्षाएँ | 24 नवम्बर, 2022 से | 25 अप्रैल, 2023 रो |
| परीक्षा पूर्व तैयारी | 25 नवम्बर, 2022 से 10 दिसम्बर, 2022 तक | 10 मई, 2023 तक |
| लिखित परीक्षाएँ | 11 दिसम्बर, 2022 से | 11 मई, 2023 रो |
| परीक्षा परिणाम | 15 जनवरी, 2023 | 15 जून, 2023 |

शिक्षक के कर्तव्य एवं निर्देश

प्रत्येक कार्य दिवस पर शिक्षक को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में 07 घण्टे रुकना आवश्यक होगा।

- प्रातः कालीन पाली के लिए - प्रातः 07:30 से 02:30 अपराह्न
- द्वितीयं कालीन पाली के लिए - प्रातः 10:30 से 05:30 संध्या
- 07 घण्टे का कार्य विवरण -
- 6 घण्टे अध्ययन-अध्यापन कार्य
(प्रायोगिक, ट्यूटोरियल, रेमेडियल, शोधकार्य, लाईब्रेरी वर्क शामिल हैं।)
- 1 घण्टा अन्य कार्य (खेलकूद, रिकियेशन, प्राचार्य द्वारा प्रदत्त कार्य, विद्यार्थियों का शंका समाधान, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्य)
- समस्त प्रकार की बैठक/रटॉफ कॉंसिल की बैठक दोपहर 03:00 बजे के पश्चात् आयोजित की जाये।
- विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन एवं गूल्यांकन से संबंधित कार्य का अनिवार्यतः निष्पादन करेंगे।
- छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में हेल्प डेर्स का गठन कर विद्यार्थियों को वांछित जानकारियों प्रदान करेंगे।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
बालोद नगर, नवा ऐयपुर (छ.ग.)



शासकीय नवीन महाविद्यालय
मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)

अदि पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हुआ है तो पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए उपलब्ध
गहाविद्यालय रत्नर पर कलखण्ड में यथोधित राग्य शुद्धि की जाए।
3. आवश्यकता पड़ने पर अध्ययन-अध्यापन की पढ़ति में शुभा विभाषा का
यथोधित गिरजार पिंसा जाए।

Oz

—000—
R.B.J.

S.D.

J.M/RM

अनुपांग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
आटल नगर, नवा रामपुर (छ.ग.)

प्रधान
शासकीय नवीन गहाविद्यालय
मांगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)



महाविद्यालय में स्वीकृत पदों की संख्या

| क्रमांक | पद नाम | संख्या | रक्षीकृति आदेश क्रमांक दिनांक |
|---------|---------------------|--------|---|
| 1 | प्राचार्य | 1 | क्रमांक 111/आजशि/व.योजना/2013 रायपुर दिनांक 25.05.2013 |
| 2 | सहायक प्राध्यापक | 10 | क्रमांक 111/आजशि/व.योजना/2013 रायपुर दिनांक 25.05.2013 |
| 3 | कीड़ाधिकारी | 1 | क्रमांक एफ 3-27 / 2023/38-1 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर दिनांक 20.06.2023 |
| 4 | ग्रंथपाल | 1 | क्रमांक एफ 3-27 / 2023/38-1 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर दिनांक 20.06.2023 |
| 5 | सहायक ग्रेड-1 | 1 | क्रमांक 111/आजशि/व.योजना/2013 रायपुर दिनांक 25.05.2013 |
| 6 | सहायक ग्रेड-2 | 1 | क्रमांक 111/आजशि/व.योजना/2013 रायपुर दिनांक 25.05.2013 |
| 7 | सहायक ग्रेड-3 | 1 | क्रमांक 111/आजशि/व.योजना/2013 रायपुर दिनांक 25.05.2013 |
| 8 | प्रयोगशाला तकनीशियन | 3 | क्रमांक 111/आजशि/व.योजना/2013 रायपुर दिनांक 25.05.2013 |
| 9 | प्रयोगशाला परिचारक | 1 | क्रमांक एफ 3-36/2015/38-1 रायपुर दिनांक 27.01.2016 |
| | | 2 | क्रमांक एफ 3-27/2023/38-1 नवा रायपुर दिनांक 26.06.2023 |
| 10 | बुकलिफ्टर | 1 | क्रमांक एफ 3-27/2023/38-1 नवा रायपुर दिनांक 26.06.2023 |
| 11 | भूत्य | 2 | क्रमांक 111/आजशि/व.योजना/2013 रायपुर दिनांक 25.05.2013 |
| 12 | चौकीदार | 1 | क्रमांक 202/11/आजशि/योजना/2020-21 रायपुर दिनांक 29.03.2022 |
| 13 | स्वच्छक कर्मी | 1 | क्रमांक एफ 3-27 / 2023/38-1 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर दिनांक 20.06.2023 |
| | योग | 27 | |




 प्राचार्य
 शासकीय नवीन गहाविद्यालय
 मांगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)